कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बालाघाट

अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत बैकलॉग के रिक्त पदों पर बालाघाट जिले के विशेष पिछड़ी जनजति (बैगा) के उम्मीदवारों की भर्ती

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के राजपत्र दिनांक 28 अगस्त 2002 में प्रकाशित संशोधित आरक्षण नियम की कंडिका 4 (ख) के परिपाट बालाघाट जिले में विभिन्न विभागों में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत बैकलॉग के रिक्त पदों पर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) के उम्मीदवा भर्ती के लिये निम्न पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो कार्यालक कलेक्टर आदिवासी विकास बालाघाट में कार्यालय में कार्यालयीन में **दिनांक 20.08.2014 के सायंकाल 5.00 बजे तक** प्राप्त हो जाना चाहिये।

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	रिक्त पद अनुसूचित जनजाति(केवल बैगा जाति के लिये)
1.	आदिवासी विकास विभाग	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3	तृतीय	5000/- मानदेय प्रतिमाह	67
		भृत्य	चतुर्थ	कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर	07
2.	जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा बालाघाट	भृत्य	चतुर्थ	कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर	01
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट	फील्ड वर्कर	चतुर्थ	कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर	01
4.	कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट	भृत्य	चतुर्थ	कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर	01

शैक्षणिक अर्हतायें :- (1) संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 - 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक में 2 वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.)

2 - भृत्य - कक्षा आठवीं उत्तीर्ण।

टीप - ग्रेडिंग अंकसूची में अंकों का विवरण नहीं होने से कक्षा आठवीं की अंक सूची के साथ शैक्षणिक संस्था की विषयवार अंक तालिका प्रधान पाठक से प्रम कर संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदन की प्रक्रिया :- आवेदन नीचे दिये गये प्रारूप में आवेदनकर्ता द्वारा भरा होना चाहिये। आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्य प्रतिलि संलग्न की जावें। शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता को अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना होगा। पद का नाम लि पर स्पष्ट रूप से लिखा जावे। एक पद हेतु एक ही आवेदन-पत्र मान्य होगा। अपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

अन्य शर्तें एवं महत्वपूर्ण जानकारी :- (1) आवेदन-पत्र कलेक्टर, आदिवासी विकास बालाघाट में नियत काउंटर पर जमा किये जा सकेंगे।

(2) विज्ञापित सभी पद अनुसूचित जनजाति (बैगा) वर्ग के लिये आरक्षित है। अन्य वर्गों के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(3) उम्मीदवार का चयन, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/मेरिट अथवा उक्त सभी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।

(4) आवेदक को बालाघाट जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(5) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(6) अस्थि बाधित हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(7) डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदनों के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा।

(8) आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में होना आवश्यक है।

(9) साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

(10) आयु दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, पुरुष अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 40 वर्ष तथा महिलाओं हेतु छूट सहित अधि आयु 50 वर्ष होनी चाहिये। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला हेतु 55 वर्ष।

(11) आवेदकों के चयन के समय किसी भी विवाद पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।